A-54
7/5/24

आनन्दीलाल बनाम [illegible] अपने नैसोनरिमी

आज 18/5/24 को पत्रावली पेश हुई।
अभिभाषक [illegible] कन्डोनेंस/कार्य
बहिष्कार/[illegible] के कारण,
न्याय[illegible] तकी। पी.ओ.स.
अन्य कोर्ट में [illegible] है। अतः पत्रावली
पूर्वानुसार दिनांक 23/5/24 को पेश हो।

वाद पत्र मय एस्टे प्राप्त
नोटेस लिया जाता है
(सतीश गोयल)
अधिवक्ता प्रार्थी

23/5/24

पत्रावली पेश की। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र नोट प्रोन्ट कमिट कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में किसी बहाल नहीं है तो प्रार्थना पत्र को आगे चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र Not Press से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर ई फाइल के रूप होकर डायरी उपरान्त है। निर्णय आज दिनांक 23/5/24 को लिखाया जाकर करे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner